जबलपुर में खाद्यान्न भंडारण केंद्र के लिए भवन का निर्माण

6060. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर में खाद्यान्न भंडारण कद्र के नवनिर्मित भवन के निर्माण में आई गम्भीर त्रुटियों के निराकरण में कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ;

(ख) इस व्यय का वहन किस प्राधिकारी द्वारा किया गया है ; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य में गम्भीर त्रुटियों के लिए उत्तरदायी ठेकेदार और अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारतीय अनाज संचयन संस्थान के जबलपुर में नए निर्मित भवन में त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है । इन त्रुटियों को ठेकेदार की लागत पर दूर किया जा रहा है ।

(ख) इस व्यय को ठेकेदार द्वारा वहन किया गया है।

(ग) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भविष्य में इस ठेकेदार को कोई टेंडर न देने का निर्णय किया है और संबंधित कार्यकारी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

खुले बाजार में विक्रय हेतु चीनी का जारी किया जाना

6061. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रतिमाह खुले बाजार में विक्रय हेतु चीनी का कोटा जारी करती है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से अप्रैल, 1994 के प्रत्येक महीने में खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी किए गए कोटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन महीनों में से प्रत्येक महीने के दौरान चीनी का उपभोक्ता मूल्य कितना-कितना था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने चीनी के मूल्यों को कम करने के लिए चीनी के आयात की भी अनुमति दे दी ; और

(ङ) यदि हां, तो चीनी का मूल्य कम करने के लिए सरकार की इस कार्यवाही का क्या प्रभाव आंका गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जनवरी, 1994 से खुले बाजार में रिलीज किया गया चीनी का कोटा तथा चीनी का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई०) निम्नानुसार है :—

मास	खुली बिक्री के रूप में रिलीज की गई चीनी की मात्रा (लाख टन)	डब्ल्यू० पी०आई० (आधार 1981-100)
जनवरी, 1994	5.75	214.9
फरवरी, 1994	5.65	226.3
मार्च, 1994	6.00	227.7
अप्रैल, 1994	5.40	229.1*
		*2, 9 तथा 16 अप्रैल, 1994 का औसत ।

(घ) और (ङ) 1993–94 मौसम के दौरान उत्पादन में संभावित कमी का

ध्यान में रखते हुए तथा चीनी के मूल्य को भी नियंत्रण में रखने व देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (आ.जी.एल.) के तहत चीनी का आयात करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। इस आयात पर कोई सीमा शुल्क तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आशा की जाती है कि इससे चीनी की घरेलू उपलब्धता बढाने तथा खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने में मदद मलेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी के मूल्य को बढाया जाना

6062. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली चीनी के मूल्य को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चीनी मिल मालिक लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ; और

(घ) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप सार्वजनकि वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जा रही चीनी के मूल्यों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में और अधिक खाद्य तेल मिलों की स्थापना

6063. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सहकारी क्षेत्र/सरकार के अधीन कितनी-कितनी खाद्य तेल मिलें कार्यरत हैं ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में और अधिक खाद्य तेल मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वनस्पति तेल उद्योग को 24 जुलाई, 1991 से लाइसेंस-मुक्त कर देने के परिणामस्वरूप गुजरात राज्य में सहकारी/सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही तेल मिलों की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उपलब्ध सूचनानुसार, 24 जुलाई, 1991 से पूर्व उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन गुजरात में सहकारी/सरकारी क्षेत्रों में स्थापित की गई तेल मिलों और विलायक निस्तारित तेल, तेल रहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के अधीन अब तक जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या लगभग 30 है।

(ख) गुजरात सरकार से नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय) में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।